न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : रा० अपील नि. 46/2016 सूरज [illegible] बनाम [illegible]

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.4.18	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 8-12-15 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर होकर [illegible] हो। निर्णय आज दिनांक 30.4.18 को खुले इजलास सुनाया गया।	

अति. कलेक्टर (द्वितीय)
जयपुर

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

अपील संख्या : 46 / 2016

1. सूरज पुत्र स्व0 श्री पांचू, जाति–माली, निवासी–ग्राम चांदमा कलां, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. बजरंग पुत्र स्व0 श्री पांचू, जाति–माली, निवासी–ग्राम चांदमा कलां, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. नारायण पुत्र स्व0 श्री पांचू, जाति–माली, निवासी–ग्राम चांदमा कलां, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. महेश राज पुत्र श्री प्रताप राज, जाति–नट निवासी–हरसूलिया, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 विरूद्व आज्ञा दिनांक 08.12.2015 तहसीलदार, फागी जिला–जयपुर मुकदमा संख्या 05 / 2015 उनवानी महेश राज बनाम सूरज वगैराह)।

उपस्थितः–

1. श्री राम अवतार शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री मदनलाल कूडी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 की ओर से।
3. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।

निर्णय **दिनांक : 30.04.2018**

खातेदार महेशराज पुत्र श्री प्रतापराज, जाति–नट, निवासी–हरसूलिया, तहसील–फागी ने जिला कलक्टर, जयपुर को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी ग्राम चादमांकलां स्थित आराजी खसरा नम्बर 754 / 3317 एवं 765 कुल किता 02 रकबा 14 बीधा 16 बिस्वा पर सूरज, बाबूलाल, बजरंग वगैराह पि0 पांचू, जाति–माली, निवासी–चादमांकलां ने कब्जा कर लिया है। प्रशासन ने पूर्व में दिनांक 09.12.2004 को इस आराजी से इन्ही लोगों को बदेखल कर दिया था परन्तु पुनः जबरिया कब्जा कर लिया है। अतः

प्रार्थी की खातेदारी आराजी को प्रभावशाली स्वर्ण व्यक्तियों से खाली कराया जावे। महेशराज का उक्त आशय का प्रार्थना पत्र कलक्टर ने प्रकरण की जांच कर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश तहसीलदार, फागी को दिये। तहसीलदार, फागी को उक्त आशय का पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस संबधितो को दिये गये और दिनांक 08.12.2015 को निर्णय पारित किया कि ग्राम चादमांकलां की आराजी खसरा नम्बर 754/3317 रकबा 6 बीधा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 765 रकबा 8 बीधा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीधा 16 बिस्वा पर सूरज, बजरंग, नारायण पि0 पांचू द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 183बी के तहत बेदखल कर महेशराज को कब्जा दिलाने का निर्णय पारित किया जाता है। निर्णय की पालना हेतु गिरदावर व पटवारी हल्का को लिखा जावे।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गए व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई ।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री राम अवतार शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट् को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस, समुचित अवसर नही दिया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय का नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट्स जरिये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है और अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि दस्तावेजी साक्ष्य व जवाब के लिए समय दिया जावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी दिनांक 08.12.2015 को अप्रार्थीगण को बिना सुनवाई साक्ष्य का मौका दिये बेदखली जैसा कठोर आदेश पारित कर दिया जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया गया है कि अपीलान्ट्स का कब्जा–काश्त चला आ रहा है। कच्चे–पक्के मकान धर बने हुये है व रहवास कर रहे है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को दरकिनार कर चुनौतीधीन आज्ञा पारित की गई जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स के पिता स्व0 श्री पांचू ने मूल खातेदार आंवटी पन्ना पुत्र बीज्या,

जाति–नट, निवासी–चादमांकलां के विरूद्व एक धोषणा व स्थाई निषेद्याज्ञा का दावा सक्षम न्यायालय में कर रखा था जिसकी अपील अपीलान्ट्स ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष कर रखी है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी के संबध में अधिकारो की धोषणा से संबधित प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो चुनौतीधीन आज्ञा अपने आप में ही प्राकृतिक एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील–अपीलान्ट् स्वीकार फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 08.12.2015 निरस्त की जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान् अभिभाषक श्री मदनलाल कूडी का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई का नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है, नोटिस दिये जाने पर अपीलान्ट्स जरिये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए है। अपीलान्ट्स–अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य सबूत/जवाब हेतु समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये गये है। इसके बावजूद भी जानबूझकर जवाब आदि प्रस्तुत नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की संक्षिप्त जांच कर नियमान्तर्गत आज्ञा पारित की है । धारा 183बी के प्रयोजनार्थ संक्षिप्त जांच (Summary trial) कर बेदखली की कार्यवाही का प्रावधान है। पूर्व में भी अपीलान्ट्स–गैरसायलान द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अवैध रूप से अतिचार किया है जिसे तहसीलदार, फागी की आज्ञा दिनांक 07.12.2004 द्वारा बेदखल कर खातेदार को भौतिक रूप से कब्जा दिये जाने के आदेश दिये है। आदेशो की पालना में दिनांक 09.12.2004 को अतिचारियों को बेदखल कर खातेदार को भौतिक रूप से कब्जा संभलाया गया था। इसके बावजूद भी पुनः बाहुबल–धनबल के आधार पर जबरिया अवैध रूप से अतिचार किया है। राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1–प्रार्थी का नाम दर्ज है और स्वामित्व के संबध में कोई विवाद नहीं है। अपीलान्ट्स वादग्रस्त आराजी पर बिना अधिकार के अतिचार किये हुये है। रेस्पोडेन्ट्–प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमि पर कब्जा दिलाने हेतु राजस्व अधिकारियों को कई बार गुहार की है परन्तु रेस्पोडेन्ट् अनुसूचित जाति का गरीब काश्तकार होने से किसी के द्वारा कभी कोई ध्यान नही दिया गया। अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की काश्तकारी भूमि

पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा जबरिया कब्जा कर अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों को अपने अधिकारो एवं आजीविका से महरूम किए गए व्यक्तियों के लिए वापस कब्जा दिलाये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई बार सधन अभियान "आपरेशन सम्बल कार्यक्रम" जैसे कार्यक्रम चलाए गये है। राज्य सरकार के ऐसे कार्यक्रमो से ही रेस्पोडेन्ट् संख्या 1–प्रार्थी को अपने खाते की भूमि का कब्जा वापस मिलने की आशा की किरण दृष्टिगोचर हुई है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.06.2015 को मौका जांच किये जाने पर रेस्पोडेन्ट् की खातेदारी भूमि पर अपीलान्ट्स का अवैद्य रूप से अतिक्रमण पाए जाने की तहसील में रिपोर्ट की है जिसके आधार पर प्रकरण धारा 183बी के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई साक्ष्य हेतु नोटिस जारी किया है अपीलान्ट्स–गैरसायलान को सुनवाई का नोटिस अवसर पर्याप्त रूप से दिये जाने के बावजूद भी जानबूझकर जवाब प्रस्तुत नहीं किया है क्योंकि अतिचारियों के पास कोई सद्भाविक जवाब नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की संक्षिप्त जांच कर नियमान्तर्गत आज्ञा पारित की है । धारा 183बी के प्रयोजनार्थ संक्षिप्त जांच (Summary trial) कर बेदखली की कार्यवाही का प्रावधान है। धारा 183बी के प्रावधान विशेष प्रावधान है और इस धारा में यहां तक प्रावधान है कि इस अधिनियम के किसी उपबंध में कुछ भी बात होते हुए भी वह अतिक्रमी जिसने अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य की भूमि पर बिना विधि पूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है अथवा कब्जा बनाये रखा है तो ऐसा अतिक्रमी बेदखली का दायी होगा । रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के विद्वान् अभिभाषक ने कथन किया है कि अपीलान्ट्स के विरूद्ध बेदखली का आदेश नियमान्तर्गत पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 08.12.2015 यथावत रखी जावें ।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है । नियमानुसार नोटिस जारी किए गए है। अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए है पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्व अभिलेख में

कभी किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त नही कराया गया है। पटवारी हल्का द्वारा मौके की जांच की गई है जांच मे ही यह तथ्य उभरकर आये है कि अपीलान्ट्स का रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की आराजी पर नाजायज कब्जा है। धारा 183बी की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है अतः पर्याप्त नोटिस व समेरी जांच कर आज्ञा पारित की है जो नियमान्तर्गत है। धारा 183बी के प्रावधान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु विधायिका द्वारा बनाये गए है। अपीलान्ट्स द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे वादग्रस्त आराजी पर उनका साधिकार कब्जा साबित होता हो। वादग्रस्त आराजी के अपीलान्ट्स खातेदार नहीं है बल्कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 सद्भाविक रूप से खातेदार काश्तकार है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावें ।

हमने उभय–पक्षो की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया । वरवक्त् बहस अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री राम अवतार शर्मा द्वारा कथन किया गया है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 08.12.2015 पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई का नोटिस/अवसर नही दिया गया, इस कथन का रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के विद्वान् अभिभाषक द्वारा खण्डन किया गया है; इस बिन्दु के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का चादमांकलां द्वारा खातेदार महेशराज पुत्र श्री प्रतापराज, जाति–नट, निवासी–ग्राम हरसूलिया की आराजी पर सूरज, बजरंग, नारायण पुत्र पांचू, जाति–माली, साकिन चादमांकलां का अतिक्रमण पाये जाने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है जो आदेशिका दिनांक 24.08.2015 से जाहिर होती है। इसी दिनांक को अपीलान्ट्स–गैरसायलान को धारा 183बी के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाने के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए है, इन आदेशो की पालना में दिनांक 24.08.2015 को अपीलान्ट्स–गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया है। अपीलान्ट्स–गैरसायलान दिनांक 30.09.2015 को जरिये अभिभाषक उपस्थित हुये है। इसके पश्चात् दिनांक 15.10.2015, 30.10.2015, 09.11.2015, 26.11.2015 तथा 30.11.2015 अपीलान्ट्स–गैरसायलान असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय

हाजा में उपस्थित हुये है परन्तु इन दिनांकों को अपीलान्ट्स– गैरसायलान द्वारा कोई जवाब/साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो ऐसे में यह स्वीकार किया जाना कि अपीलान्ट्स को सुनवाई का नोटिस/अवसर नही दिया गया। अनुसूचित जाति के पीड़ित व्यक्ति के साथ बैमानी होगी। इस प्रकार यह बखूबी सिद्ध है कि अपीलान्ट्स–गैरसायलान को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी इनके द्वारा कोई जवाब/साक्ष्य आदि अपने समर्थन में प्रस्तुत नहीं किये। न्याय का किया जाना ही महत्वपूर्ण नही है अपितु यह बिन्दु भी एक महत्वपूर्ण है कि न्याय किये जाने का न्याय के पक्षकारान को अहसास भी हो चूंकि अपीलान्ट्स–गैरसायलान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने पक्ष में कोई जवाब /साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है और आज्ञा दिनांक 08.12.2015 से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है परन्तु अपील के स्तर पर भी अपीलान्ट्स–गैरसायलान द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अपीलान्ट्स–गैरसायलान की सिद्ध होती हो। अपीलान्ट्स–गैरसायलान के विद्वान् अभिभाषक यह सिद्ध करने में असमर्थ रहे कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट्स–गैरसायलान का साधिकार कब्जा–काश्त है। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के अनुसार वादग्रस्त आराजी महेशराज पुत्र प्रतापराज, जाति–नट, निवासी–ग्राम हरसूलिया जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, के नाम दर्ज है। इस प्रकार विवादग्रस्त आराजी निर्विवाद रूप से महेशराज पुत्र प्रतापराज, जाति–नट के खातेदारी की सिद्ध होती है, और वर्तमान में खातेदार की दर्ज खातेदारी में कोई विवाद नही है। कब्जे के आधार पर हक खातेदारी तय किये जाने की शक्तियां इस न्यायालय में निहित नही है परन्तु उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण से यह निर्विवाद सिद्ध है कि विवादग्रस्त आराजी महेशराज पुत्र प्रतापराज, जाति–नट की खातेदारी में है और तथा इस विवादग्रस्त आराजी पर स्वर्ण जाति के सदस्य अपीलान्ट्स–गैरसायलान का अवैध रूप से कब्जा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183बी के उपबन्ध विशेष उपबंध है जो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण हेतु बनाये गए है धारा 183बी ज्यों की त्यों निम्नानुसार है "(1) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में कुछ भी बात होते हुए भी, वह अतिक्रमी जिसने कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधि पूर्ण प्राधिकार के कब्जा

कर लिया है अथवा कब्जा बनाये रखा है, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के आवेदन पर या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी लोक सेवक के विहित रीति से आवेदन करने पर जोकि उसे बेदखली कराने के हकदार हो, बेदखली का दायी होगा।'' इस प्रकार अधिनियम में किसी उपबन्ध में कुछ भी बात होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य की खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के सदस्य का कब्जा होने पर बेदखली का प्रावधान है, और इस हेतु तहसीलदार को शक्तियां प्रदत्त है। तहसीलदार, फागी ने महेशराज पुत्र प्रतापराज, जाति–नट की खातेदारी आराजी पर स्वर्ण जाति के सूरज, बजरंग, नारायण पुत्र पांचू, जाति–माली निवासी–चादमांकलां का अवैध रूप से अतिचार पाये जाने से अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेदखली के आदेश दिये है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्याय–संगत नही पाते है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 08.12.2015 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है ।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

30/4/18

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर